# बन्धक सम्पत्ति का पुनः हस्तान्तरण

पृष्ठांकन द्वारा बन्धक का अन्तरण (जिसका बन्धककर्ता पक्षकार न हो)

यह इस बन्धक के अन्तरण का विलेख आज 19 ..... के ..... के ..... दिन क ख, आयु ..... आदि (मूल बन्धकदार) जिसे आगे चलकर ''अन्तरक'' (transferor) कहा गया है और जो इस करार का एक पक्षकार है, तथा ग घ, आयु ..... वर्ष, (जिसे आगे चलकर ''अन्तरिती'' (transferee) कहा गया है) और जो इस विलेख का दूसरा पक्षकार है,

चूँकि उक्त ग घ द्वारा उक्त क ख को अब केवल ..... रूपये ( ..... रूपये) की धनराशि के प्रतिफल हेतु, जो कि इस बन्धक पर आज तक की देय सम्पूर्ण धनराशि है, अन्तरक केवल ..... रूपये (.....रूपये) की उक्त धनराशि का जो कि इस विलेख में उल्लिखित प्रतिभूति के आधार पर देय है, तथा भविष्य में उक्त धनराशि पर देय ब्याज का तथा सभी प्रसविदाओं तथा अन्य प्रतिभूतियों का सम्पूर्ण लाभों का, एतद्द्वारा अन्तरिती के पक्ष में अन्तरित करता है।

जिससे कि वह केवल ..... रूपये ( .....रूपये) की उक्त मूलधन की धनराशि को तथा उस पर देय ब्याज को तथा एतद्द्वारा अन्तरिती को अन्तरित अन्य सभी भू गृहादि को धारण, प्राप्त और ले सके।

और यह विलेख यह भी साक्ष्य है कि उपर्युक्त प्रतिफल हेतु बन्धकदार के रूप में अन्तरक इस विलेख में उल्लिखित भूखंड, निवास–गृह, तथा भू–गृहादि तथा किसी भी प्रकार अन्तरक में निहित होने वाली अन्य सम्पत्ति का अन्तरिती के पक्ष में समनुदेशन तथा अन्तरण करता है कि जिससे कि अन्तरित उक्त भू–खंड या निवासी–गृह, भवन तथा भू–गृहादि को इस लिखित विलेख के अधीन प्रदान की गई अवधि के शेष समय के लिए, इस बन्धक के विलेख में लिखित मोचन (redemption) के द्वारा तथा उसके अधीन, धारण कर सके और केवल .... ..... रूपये ( .....रूपये) की धनराशि तथा उस पर देय ब्याज की अदायगी हो जाने पर उनका अन्तरिती, उसके दायद, निष्पादक, प्रशासक या समनुदेशितों को अन्तरण कर देगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप उक्त क ख ने प्रथम बार उपरिलिखित दिन तथा वर्ष को ..... पर आगे चलकर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

(हस्ताक्षरित) क ख
अन्तरक

साक्षीगण

(1).....

(2).....